

पक्ष अनुपस्थित है। बाद में द्वितीय पक्ष के
सभी सदस्यों काए S/C दाखिल किया गया है।

कागल रिजि. दिनांक 22.03.17 को
मजबूर हो जाना है।

03/03/17

22.03.17

प्रथम पक्ष अनुपस्थित। उक्त पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों
की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन प्रस्तुत किया
गया है।

कागल रिजि. दिनांक 19.04.17
को मजबूर हो जाना है।

05/04/17

19.04.17

प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष
के अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु
आवेदन दाखिल किया है। पीठासीन प्राधिकारी द्वारा कार्य
में अग्र है।

प्रथम पक्ष अनुपस्थित दिनांक 09.05.17 को रहे।

07.12.17

09.05.17

प्रथम पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय
पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की ओर से प्रतिनिधित्व
हेतु आवेदन दाखिल किया है।

उक्त वाद की समाप्ति 6 माह समाप्त
हो चुकी है एवं किसी भी पक्ष द्वारा अवधि विस्तार
हेतु आवेदन दाखिल नहीं किया है। अतः वाद की
कारवाई समाप्त की जाती है।

09/05/17